(76)

(भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

230

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 21 जून, 1969

31 ज्येष्ठ, 1891

अधिसूचना

का० आ० 2569---संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2351, तारीख 9 अगस्त, 1963 को अतिष्ठित करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश करते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, अपने संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, आयुध नियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन, जो नीचे दी गयी सारणी में उपवर्णित हैं, राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा :

सारणी

नियमों के उपबन्ध

आयुध नियम, 1962 :

(i) नियम- 14(2), 19, 24, 25(2), 25 (3)(क) 31, 41(1)(ख), 46(3)(क)(ii), 46(4) (द्वितीय परन्तुक), 46 (6) 47(4), 49, 51 (परन्तुक (ii), 52 (द्वितीय परन्तुक) और 57 (5)

(ii) अनुसूची 2- मद संख्याएं 3,4,5,6,7,8,9, 9 क, 10,10 क, 11, 12, 13 और 22,

--2--

(III) अनुसूची 3- अनुज्ञप्ति के प्ररूप III-
शर्त II, v -शर्त II, vI -शर्त 7, XIV शर्त 7

(सं० एफ 2|2|69-यू.टी.एल.-(II)

(पी० एन० कौल)
उप सचिव, भारत सरकार

महा प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मैंन विंग, नई दिल्ली ।